

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 11(1)मं.मं./2021

जयपुर, दिनांक 20/5/2022

आदेश

मंत्री/राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त विभिन्न बोर्ड/आयोग/निगम के पदाधिकारीगण को मंत्रिमण्डल सचिवालय की आज्ञा दिनांक 30.11.2012 तथा 07.12.2017 द्वारा प्रदत्त वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं का लाभ उनके द्वारा अपने पद का कार्यग्रहण किये जाने की तिथि से देय होगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102202561 दिनांक 06.05.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह/-

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. सचिव (जी.जी.), मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
4. निजी सचिव, मंत्री/राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त विभिन्न बोर्ड/आयोग के पदाधिकारीगण।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
8. अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, समस्त निगम/बोर्ड।
9. सचिवालय के समस्त विभाग एवं अनुभाग।
- ✓ 10. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग।


शासन सचिव